प्रेषक,

सुधीर कुमार (पंचम)
जिला जज
पीलीभीत।

सेवा में,

श्रीमान् महानिबंधक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

विषय- आवासीय प्रायोजन के लिये प्लाट क्रय किये जाने की अनुमति प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

माननीय उच्च न्यायालय ने परिपत्र संख्या 25 /एडमिन (ए०),दिनांकित 13.07.1998 इलाहाबाद के अनुपालन में आवासीय प्रयोजन के लिये जनपद सहारनपुर के कस्बा देवबन्द में प्लाट क्रय करने की अनुमति प्रदान करने के सम्बन्ध में अतिविनम्र निवेदन निम्नवत है-

1. प्रार्थी ने प्रथम नियुक्ति पर दिनांक 15.12.2008 को अपर जिला न्यायाधीश जनपद पीलीभीत उ०प्र० में पदभार ग्रहण किया था।

2. प्रार्थी का वेतन रुपये 2,27,340/- है और आवश्यक कटौतियों के उपरान्त प्रार्थी को रु. 1,67,977/- वेतन प्राप्त होता है।

3. प्रार्थी ने माननीय उच्च न्यायालय से कोई अग्रिम अथवा ऋण नहीं लिया है।

4. प्रार्थी की पत्नी के नाम से अचल सम्पत्ति के रूप में एक प्लाट कस्बा देवबन्द जनपद सहारनपुर में स्थित है, प्रार्थी के नाम से पैत्रिक निवास स्थान ग्राम सॉखन खुर्द, जनपद सहारनपुर में कृषि योग्य भूमि जिसका क्षेत्रफल 1.2350 हेक्टेयर है, न्यायिक सेवा में आने से पूर्व की प्रार्थी के पिता का स्वर्गवास वर्ष 2020 में एवं माता का स्वर्गवास वर्ष 2021 में होने के कारण लगभग इतने ही क्षेत्रफल की कृषि योग्य भूमि पैतृक विरासत के रूप में प्राप्त होगी, जिसके नामान्तरण की प्रक्रिया चल रही है।

5. प्रार्थी को पूर्व में प्रतिवर्ष कृषि से लगभग 2 लाख रुपये की आय होती थी जिसमें पिछले वर्ष से वृद्धि हो गई है।

6. प्रार्थी का बेतन बचत खाता 30323917824 है जो भारतीय स्टेट बैंक की मुख्य शाखा, गोरखपुर में है तथा भारतीय स्टेट बैंक की जनपद सहारनपुर के देवबन्द की एग्रीकल्चर शाखा में पिता की मृत्यु के पश्चात भाई के साथ संयुक्त खाता (संख्या 10473664946) भी है जिसमें गन्ना विक्रय से प्राप्त आय जमा होती है। प्रार्थी के पास तीन लाख रुपये की सीमा तक ऋण आहरित करने योग्य यूनियन बैंक आफ इण्डिया से जारी किसान केडिट कार्ड भी है जिसपर आहरित ऋण पर 7 प्रतिशत ब्याज की दर से वर्ष में एक बार मूलधन एवं ब्याज जमा करना होता है।

7. इसके अलावा प्रार्थी व पत्नी के नाम से पब्लिक प्राविडेंड फण्ड में दो खाते हैं जिनका खाता सं. 30830471755 एवं 31656965474 है। जिनसे क्रमशः खाता संख्या 30830471755 में कुल जमा रु0 19,09,173/- से रु. 5,72,557/- एवं पत्नी के खाता सं. 31656965474 में कुल जमा रु. 14,86,110/- से रु. 4,42,921/- तक का ऋण आवश्यकता पड़ने पर आहरित किया जा सकता है।

8. प्रार्थी जनपद सहारनपुर के कस्बा देवबन्द में आवासीय प्रायोजन के लिये प्लाट क्रय करने के उपरान्त उसपर भवन निर्माण कराना चाहता है, प्लाट का विवरण निम्नवत् है-

I- उक्त प्लाट नूरपुर अन्दर हद्दूद जेड०ए० बसन्त बिहार (लहसवाडा), कस्बा देवबन्द एवं परगना देवबन्द जनपद सहारनपुर में स्थित है।

II- प्लाट का क्षेत्रफल 404.26 वर्ग मी. है।

III- उक्त प्लाट को प्रथम स्वामी श्री नीरज कुमार जैन पुत्र श्री स्वरूप लाल जैन निवासी 891 साऊथ भोपा रोड मुजफ्फरनगर तहसील व जिला मुजफ्फरनगर व श्रीमती प्रीती जैन पत्नी श्री नीरज कुमार जैन पुत्री श्री विनोद कुमार जैन निवासी मोहल्ला शिवपुर हाल बसन्त बिहार कालोनी कस्बा देवबन्द, परगना व तहसील देवबन्द जिला सहारनपुर थे, जिन्होंने श्री पीयूष गोयल एवं श्री सौरभ गोयल पुत्रगण श्री पवन कुमार गोयल जाति वैश्य अग्रवाल निवासी मो. भुल्लनशाह कस्बा देवबन्द परगना व तहसील देवबन्द जिला सहारनपुर को बेचा है।

IV-उक्त प्लाट की कुल बाजारी कीमत अनुसार सर्किल रेट 26,28,000/ (रुपये छब्बीस लाख अट्ठाइस हजार मात्र) है जिसकी रजिस्ट्री में स्टाम्प ड्यूटी रु. 1,84,000/- (रुपये एक लाख चौरासी हजार मात्र) एवं रसीद खर्च रु. 26,400/- (रूपये छब्बीस हजार चार सौ मात्र) कुल खर्च 2,10,400/-(रूपये दो लाख दस हजार चार सौ मात्र) होगी।

V-मेरे द्वारा उक्त प्लाट को क्रय करने के सम्बन्ध में एक अनुबन्ध पत्र दिनांक 09.07.2021 को विक्रेतागण से कराया गया है। उक्त प्लाट मेरे नाम से क्रय किया जाना प्रस्तावित है। उक्त प्लाट के केता श्री पीयूष गोयल एवं श्री सौरभ गोयल पुत्रगण श्री पवन कुमार गोयल जाति वैश्य अग्रवाल निवासी मोहल्ला भुल्लन शाह कस्बा देवबन्द परगना व तहसील देवबंद जिला सहारनपुर से 26,28,000/- (छब्बीस लाख अट्ठाईस हजार मात्र) प्रतिफल के एवज में क्रय कराया जाना तय हुआ है।

9. मेरे द्वारा प्लाट क्रय कराने एवं उसपर निर्माण कराने हेतु इण्डियन बैंक आर.एम.पी.सी., सहारनपुर से रुपये 60,00000 (रू0 साठ लाख) का ऋण स्वीकृत कराया गया है। प्लाट की प्रतिफल राशि के कुल रू0 26,28,000/- (रुपये छब्बीस लाख अठाइस हजार मात्र) में से राशि अर्थात् रु. 21,02,000/- (इक्कीस लाख दो हजार मात्र) इण्डियन बैंक आर.एम.पी.सी., सहारनपुर से स्वीकृत कराये गये आवासीय ऋण से लिया जाना प्रस्तावित है । प्रतिपाल की शेष राशि रू0 5,26,000/- (पाँच लाख छब्बीस हजार मात्र) में से अनुबन्ध पत्र के निष्पादन के कुल रू0 50,000/- (रुपये हजार मात्र विक्रेतागणों को मेरे वेतन बचत खाते से चेक सं० 002139 के सध्यम से दिनांक 09/07/2021 को बतौर टोकन मनी प्रदान किया गया है तथा शेष 4,76,000/- (रूपये चार लाख चिहत्तर हजार मात्र) का भुगतान संयुक्त बचत खाते से किया जाना प्रस्तावित है।

1) कुल प्रतिफल	-	26,26,000/-
2) बैंक द्वारा अदा प्रतिफल	-	50,000/-
3) शेष प्रतिफल की राशि	-	25.78,000/-

4) प्रतिफल की अदायगी का प्रस्तावित विवरण निम्नवत है –

a) स्वीकृत आवासीय ऋण - 60,00,000/- रू0 में से प्लांट क्रय करने हेतु (21,02,000/- इक्कीस लाख दो हजार मात्र)

(b) प्रस्तावित वेतन बचत खाते से भुगतान 4,76,000/

5) शेष औपचारिकताओं के व्यय का भुगतान बैतन बचत खाते से व संयुक्त खाते से किया जाना प्रस्तावित है।

10. विक्रेतागणों द्वारा कथित प्रतिफल की राशि प्राप्त करने के उपरान्त सम्बन्धित प्लाट के विक्रय पत्र का पंजीकरण प्रार्थी के पक्ष में किया जायेगा।

11. उक्त प्लाट के वर्तमान स्वामी श्री पीयूष गोयल एवं श्री सौरभ गोयल पुत्रगण श्री पवन कुमार गोयल जाति वैश्य अग्रवाल निवासी मोहल्ला भुल्लनशाह कस्बा देवबन्द परगना व तहसील देवबन्द जिला सहारनपुर हैं।

12. प्रार्थी का विक्रेता श्री पीयूष गोयल एवं श्री सौरभ गोयल पुत्रगण श्री पवन कुमार गोयल से किसी भी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं है और न कभी रहा है। विक्रेता श्री पीयूष गोयल एवं श्री सौरभ गोयल पुत्रगण श्री पवन कुमार गोयल का कोई भी वाद / मामला प्रार्थी के न्यायालय के समक्ष कभी भी लम्बित नहीं रहा है। विक्रेता श्री पीयूष गोयल एवं श्री सौरभ गोयल पुत्रगण श्री पवन कुमार गोयल का कोई भी वाद / मामला प्रार्थी द्वारा कभी निस्तारित नहीं किया गया है। प्रार्थी के सम्पूर्ण सेवाकाल के दौरान कस्बा देवबन्द, जनपद सहारनपुर में प्रार्थी की नियुक्ति कभी नहीं रही है।

13. प्रार्थी द्वारा इस प्लाट को क्रय करने एवं भवन निर्माण कराने के लिये 60,00,000/- (रू0 साठ लाख मात्र) इण्डियन बैंक, आर०एम०पी०सी०, सहारनपुर से आवासीय ऋण प्राप्त करने की संस्तुति प्राप्त कर ली है जो की पत्र के साथ संलग्न है जिसमें से प्लाट क्रय करने हेतु रू० 21,02,000/- इक्किस लाख दो हजार मात्र एवं भवन निर्माण करने हेतु रू0 38,98,000/ अड़तिस लाख अट्ठानवें हजार मात्र खर्च किए जायेंगे।

a. इस प्लाट पर कुल निर्माण का क्षेत्रफल लगभग, भू-तल पर 3000 वर्गफुट एवं प्रथम तल पर 800 वर्गफुट होगा ।

b. कुल कवर्ड एरिया के निर्माण के अनुमानित खर्च का विवरण इस प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है।

14. उक्त प्लाट को क्रय करने एवं निर्माण के सम्बन्ध में संव्यवहार पूर्ण होने के उपरान्त माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष सम्पूर्ण विवरण पृथक रूप से प्रस्तुत किया जायेगा।

15. उक्त प्लाट को क्रय करने के एवं क्रय करने के उपरान्त उसपर भवन निर्माण हेतु आवासीय ऋण के लिये माननीय उच्च न्यायालय की कृपापूर्ण अनुमति की आवश्यकता है।

अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि उक्त प्लाट को क्रय करने के सम्बन्ध में प्रार्थी के अनुरोध-पत्र को माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष कृपापूर्ण अनुमति हेतु प्रस्तुत करने की महती कृपा करें।

सादर।

दिनांक – 18-08-2021

भवदीय,

सुधीर कुमार (पंचम)
जिला जज,
पीलीभीत।